सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

17/2025 शीर्षक ....लालुराम.... बनाम ....कुशला....

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
पा.प. दर्ज रजिस्टर कर सम्मन बनाम मुद्दा की मय नकल 251 A नोटिस जारी कर वास्ते जवाब दि. 17.3.25 को पेश हो।	
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 04.04.25 को पेश हो।	
04.04.25 पत्रा० पेश हुई अधि० प्रार्थी उप० विपक्षीगण अनु० विपक्षीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त। जवाब विपक्षीगण हेतु अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट तलब हो। पत्रा० वास्ते जवाब विपक्षीगण एवं मौका रिपोर्ट इन्तजार के दि 21.04.25 को पेश हो।	
21.04.25 पत्रा० पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप० विपक्षीगण अनु० विपक्षीगण के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। अधि मौका रिपोर्ट दि. 17.04.25 को प्राप्त होकर शामिल पत्रा० हुई अधिवक्ता प्रार्थी ने प्राप्त मौका रिपोर्ट	

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रे

प्रकरण : संख्या - शीर्षक .... बनाम ....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	अनुसार प्रकरण निस्तारण हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली एवं प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय / आदेश पृथक से लिखवाया जाकर राज० नाम० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।
	M

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम :– बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर :– 17/2025
किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक :– 28.01.2021
निर्णय दिनांक :– 21.04.2025

अनवान

1. लालूराम पिता मन्नालाल मेघवाल निवासी उदयपुर हाल भगवान्दा कलां तह. व जिला राजसमन्द।

.................प्रार्थी

बनाम

1. कमला पुत्री कालू जी जाति सालवी, आयु वयस्क,
2. कैलाशी पुत्री कालू जी, जाति सालवी. आयु वयस्क,
3. डाली पुत्री कालू जी, जाति सालवी, आयु वयस्क,
4. रामचन्द्र पुत्र कालू जी, जाति सालवी, आयु वयस्क,
5. लक्ष्मीलाल पुत्र कालू जी, जाति सालवी, आयु वयस्क,
6. श्यामूबाई पुत्री कालू जी, जाति सालवी, आयु वयस्क,
   सभी निवासीयान बागडोला, तह में जिला राजसमंद।

.............विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित
वकील प्रार्थी :– श्री जगदीश पुरोहित
वकील विपक्षीगण :– अनुपस्थित

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बागडोला पटवार हल्का भगवान्दा कलां तहसील राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या आराजी नम्बर 167/1, 167/2 कुल रकबा 0.5828 हैक्टेयर भूमियां प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु मुख्य सडक से होते हुए आराजी नम्बर 160 के पास आराजी नम्बर 166 से होते हुए आराजी नम्बर 167/1 रकबा 0.2914 हेक्टेयर भूमि एवं आराजी नम्बर 167/2 रकबा 0.2914 हेक्टेयर भूमि में आता जाता है। उक्त भूमि में ही आने जाने का रास्ता करीबन 30 फीट चौड़ा प्रार्थी के खेतों में आता जाता है। उक्त रास्ता वर्षों से कायम है। प्रार्थी अपने खेत में इसी रास्ते से आता जाता हैं। इस रास्ते से प्रार्थी अपने खेतो में जाने आने हेतु उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं, इस रास्ते से अपने हल, बैल मवेशी, बैलगाड़ी ट्रेक्टर आदि अपने खेतों तक ले जाता हैं और इसका रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता हैं। प्रार्थी को अपने खेतो से इसी रास्ते मे हल, बैल, मवेशी, लाया ले जाता है, प्रार्थी को अपने खेती मे आने जाने व हल, बेलगाडी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के ओर कोई रास्ता नहीं है व राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं होने से आये दिन विवाद उत्पन्न होते है, तथा विपक्षीगण रास्ते को बन्द कर देते है। प्रार्थी इसी रास्ते को 30 फीट रास्ता कराकर राजस्व रेकर्ड में अंकन कराना चाहता है, जिससे समस्या का स्थायी समाधान हो सके। रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। जो इस प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग हैं। जिसके लिये 30 फीट रास्ता किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई वेकल्पित रास्ता मौजुद नही है। 30 फीट की जो भी डीएलसी राशि देय होती है, वह प्रार्थी, विपक्षी को अदा करने के लिये तैयार व तत्पर है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगण के बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। दिनांक 17.04.2025 को तहसीलदार राजसन्द ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी सं. 167/1 रकबा 0.2914 हैक्टेयर किस्म बंझड़ भोलीराम पुत्र किसना 1/18 बलाई सा देह लालुराम पुत्र मन्नालाल 17/18 मेघवाल सा पुरोहित जी का खुर्रा उदयपुर के नाम व आराजी सं. 167/2 रकबा 0.2914 किस्म बाड़ होकर लालुराम पिता मन्ना लाल मेघवाल सा.पुरोहित जी का खुर्रा उदयपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी सं. 160 रकवा 0.7527 है० भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी संख्या 167/1, 167/2 तक पहुंचने बाबत् आराजी सं. 160 में से 30 फिट चौड़ा रास्ता चाहा है इस हेतू भाणा सीमा में स्थित भाणा बागडोला ग्रेवल सड़क जो आम रास्ता है से होकर आराजी सं. 160 जो कि विपक्षीगण के नाम है में से होकर आराजी सं. 166 रकवा 0.2023 किस्म रास्ता जो कि कंकुबाई पुत्री रामा सालवी वगेराह के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है, से होकर अपनी खातेदारी आराजी सं. 167/1 व 167/2 में प्रवेश करेगा यह कि उक्त विकल्प के अलावा मौका अनुसार प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं होने से आराजी सं. 160 में से रास्ता दिया जाना आवश्यक है। मौका अनुसार आराजी संख्या 160 में मौके पर विपक्षीगण द्वारा 12 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर खुला छोड रखा है जिसमें से प्रार्थी आ जा सकता है। जिसका रकवा 0.0870 हैक्टर है जिसे रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। वादी 12 फीट चौड़ा रास्ते हेतू सहमत है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से वादी को उक्त रास्ता रेकार्ड में किरम रास्ता दिया जाना उचित है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यक प्रकृति का है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी 2077–77 अनुसार राजस्व ग्राम बागडोला पटवार हल्का भगवान्दा कलां तहसील राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या आराजी नम्बर 167/1 प्रार्थी की सहखातेदारी की एवं आराजी नम्बर 167/2 भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी की है। उक्त आराजीयात मे आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की आराजी संख्या 160 मे से 30 फीट चौडा रास्ता चाहा गया। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु मौके अनुसार 12 फीट रास्ता उपलब्ध होने तथा प्रार्थी एवं विपक्षीगण के सहमत होने से सहमती अनुसार 12 फीट रास्ता प्रस्तावित किया है, प्रार्थी द्वारा विपक्षी की भूमि से चाहे गये रास्ते की वास्तविक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी को अपनी भूमियों मे आवागमन हेतु 12 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो प्रार्थी को दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बागडोला पटवार हल्का भगवान्दा कलां तहसील राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या आराजी नम्बर 167/1, 167/2 कुल रकबा 0.5828 हैक्टेयर भूमियां मे प्रार्थी को आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 160 कुल किता 1 रकबा 0.7527 हैक्टेयर भूमि मे 12 फीट चौडा रास्ता रकबा 0.0870 हैक्टेयर भूमि को रास्ते के रूप मे कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। दिनांक 17.04.2025 को प्राप्त मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रैस अनुसार रास्ता कायम हो। प्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप मे प्रयुक्त होने वाले रकबे की डीएलसी दर की दुगुनी राशि अदा करने पर राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त राशि विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार राजसमन्द के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर–भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होते है तो ऐसी स्थिति मे अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस मे अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा। केवल आवागमन कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

उक्त आदेश आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद